



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.03.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 78/26 धारा -191(2)/191(3)/190/131/103(1)/109(1) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधिनियम में वांछित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू (आलाकत्ल) व 01 डन्डा बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

04.03.2026 को

थाना सिंघावली

अहीर पर वादी श्री

राजकिशोर पुत्र

नत्थूलाल निवासी

ग्राम बडावद थाना

बिनौली जनपद

बागपत ने लिखित

तहरीर दी कि

अभियुक्तों 1. चिंकू

पुत्र मप्पल, 2. सुहैल

पुत्र महबूब, 3.

अनस पुत्र सीनू, 4.

शौकीन पुत्र मीनू निवासीगण ग्राम तितरौंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद

बागपत व 5. ग्राम तितरौंदा का भांजा सुहैल निवासी अज्ञात द्वारा एकराय होकर

उसके पुत्र अमृत उम्र करीब 17 वर्ष, सागर उर्फ सरवन तथा उनके दोस्त कार्तिक

व बोबी पर चाकू से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिसमें उसके

पुत्र अमृत उम्र करीब 17 वर्ष की आस्था हॉस्पिटल बड़ौत ले जाते समय मृत्यु हो



गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 78/26 धारा 191(2)/191(3)/190 /131/103(1)/109(1) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नोट-** दिनांक 04.03.2026 को ग्राम तितरौंदा में शाम करीब 07:30 बजे साजिद की दुकान पर सुहैल, साजिद, चिंकू, अनस, शौकीन व सुहैल पुत्र निजामू उर्फ निजामुद्दीन मौजूद थे। होली का दिन होने के कारण वहाँ पर समीर पुत्र यामीन के साथ सागर, अमृत पुत्र राजकिशोर निवासी बडावद थाना बिनौली तथा कार्तिक पुत्र सुनील व बोबी पुत्र हरपाल निवासी बिजवाड़ा थाना बिनौली जनपद बागपत आ गए। इसी दौरान पुरानी रंजिश एवं आपसी कमेंटबाजी को लेकर सुहैल, साजिद, चिंकू, अनस व सुहैल पुत्र निजामू उर्फ निजामुद्दीन द्वारा एकराय होकर अमृत व सागर उर्फ सरवन तथा उनके दोस्त कार्तिक व बोबी पर जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर दिया, जिसमें अमृत की मृत्यु हो गई तथा अन्य घायल हो गए।

### **कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 78/26 धारा - 191(2)/191(3)/190/131/103(1)/109(1) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधिनियम में वांछित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू (आलाकत्ल) व 01 डंडा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम की बढोत्तरी की गई है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सुहैल पुत्र महबूब निवासी ग्राम तितरौंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2. साजिद पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम तितरौंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3. चिंकू पुत्र महीपाल उर्फ मप्पल निवासी ग्राम तितरौंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4. अनस पुत्र सीनू निवासी ग्राम तितरौंदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5. सुहैल पुत्र निजामू उर्फ निजामूद्दीन निवासी मुगलपुरा माता का मौहल्ला बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण

- 02 अवैध चाकू (आलाकत्ल) ।
- 01 डंडा ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6-का0 633 जहाँगीर पंवार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7-का0 194 तरूण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 06.03.2026

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 जिला बंदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जिलाबंदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए



जिलाबंदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 139/26 धारा 3/10 गुन्डा अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दानिश पुत्र कर्यूम निवासी मौ0 पुरानी तहसील कोर्ट रोड करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 863 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।